

तुलसी स्मारक इन्टर कालेज, परसपुर (गोण्डा)

संख्या ... ..

दिनांक १.८.८०

परिषद् द्वारा संचालित १९८० की हाई स्कूल परीक्षा में संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित  
 कु० मीलम पाण्डेय अनुक्रमांक १०२६१६४ द्वारा प्राप्तियों का विवरण  
 वयं वि. वैज्ञानिक

परीक्षार्थी द्वारा किये गये विषयों के नाम	विषयों के स्थिति निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र	योग	क्रियात्मक विषय			कुल योग	परीक्षाफल इस स्तम्भ की अनुवश्यक प्रविष्टियां काट दी जायें
							प्रथम	द्वितीय	योग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१-हिन्दी	१००	२०	२४	२५						६९	सम्मानसहित उत्तीर्ण
२-गणित/सांख्यिक गणित गृह-विज्ञान	१००	४२	४४							८६	उत्तीर्ण श्रेणी: प्रथम विशेष योग्यता गणित-विज्ञान संस्कृत...
३- विज्ञान	१००	२०	२६			२६	२०			६६	कृपांक * अग्रताणं * ...
४- अंग्रेजी	१००	२५	२६							६२	पूरक परीक्षा का अधिकारी है * ...
५- संस्कृत	१००	२९	२६							६६	स्वतः परीनिरीक्षण का अधिकारी है *
६-											स्वतः परीनिरीक्षण का अधिकारी है *

सम्पूर्ण प्राप्तिकां (शब्दों में) तीनसौ असी (अङ्कों में) ... ३८० ...

परीक्षाफल के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

(१) प्रत्येक विषय का न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत है। विभिन्न विषयों में विविध एवं क्रियात्मक परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक विवरण पत्रिका (Prospectus) में निर्धारित है। उनमें परीक्षार्थी का उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(२) विशेष योग्यता पाने के लिए किसी विषय के सम्पूर्ण प्राप्तिकां योग में ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(३) प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी होने के लिए सम्पूर्ण योग कम से कम क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिए।

(४) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है, तो वह पूरक परीक्षा का अधिकारी है।

(५) पूरक परीक्षा के घोषा घोषित होने जाने सभी परीक्षार्थी स्वतः परीनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २३ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अङ्क प्राप्त करने पर अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं पूरक परीक्षा के अधिकारी होने के साथ ही साथ स्वतः परीनिरीक्षण के अधिकारी भी होंगे। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का परीनिरीक्षण बिना शुल्क के ही किया जायगा। अतः उन्हें वाञ्छित शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि वे इसके लिए शुल्क जमा कर देंगे तो उसे लौटाया नहीं जाएगा।